

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/पटना, दिनांक

विषय- एस्ट्रो टूरिज्म परिपथ परियोजना के लिए सतत् लीज नीति के तहत पटना जिलान्तर्गत अंचल-मसौढ़ी, मौजा-तारेगना, थाना नं.-152, के विभिन्न खाता एवं खेसरा नं. में कुल रकबा 2.00 एकड़ (दो एकड़) रैयती भूमि के अर्जन हेतु कुल रू. 2,80,00,000=00 (दो करोड़ अस्सी लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त राशि अंचलाधिकारी, मसौढ़ी (पटना) को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

- राज्य सरकार ने समाहर्ता, पटना के पत्रांक-XXXVIII-39/18-462/रा., दिनांक 25.03.2019 एवं पत्रांक-1491/रा., दिनांक 07.08.2019 के आलोक में एस्ट्रो टूरिज्म परिपथ परियोजना के लिए सतत् लीज नीति के तहत पटना जिलान्तर्गत अंचल-मसौढ़ी, मौजा-तारेगना, थाना नं.-152, के विभिन्न खाता एवं खेसरा नं. में कुल रकबा 2.00 एकड़ (दो एकड़) रैयती भूमि के अर्जन हेतु कुल रू. 2,80,00,000=00 (दो करोड़ अस्सी लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त राशि अंचलाधिकारी, मसौढ़ी (पटना) को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।
- उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष- 02- तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष -105- इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या- 43, उपशीर्ष-0106- अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय)" के अधीन 53 02 भू-अर्जन विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 43-4202021050106 है।
 - इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक (त.) (निदेशालय), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना होंगे।
 - इस राशि की अग्रिम निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा उसे CFMS प्रणाली के माध्यम से अंचलाधिकारी, मसौढ़ी (पटना) को उपलब्ध करायी जायेगी। अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
 - उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
 - यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है। सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन इसी संचिका के पृ. 87/टि. पर प्राप्त है।
 - वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
 - विमुक्त राशि का व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

Handwritten signature/initials in blue ink.

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(II) व² - 22/2011-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(II) व² - 22/2011-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(II) व² - 22/2011-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- समाहर्ता, पटना को उनके पत्रांक-XXXVIII-39/18-462/रा., दिनांक 25.03.2019 एवं पत्रांक-1491/रा., दिनांक 07.08.2019 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(II) व² - 22/2011-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(II) व² - 22/2011-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- अंचलाधिकारी, मसोढ़ी (पटना) को उनके पत्रांक-974, दिनांक 29.06.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(II) व² - 22/2011-

3079

/पटना, दिनांक-

5/9/19

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/निदेशक/संयुक्त निदेशक (वि.)/उप निदेशक (यो)/उप निदेशक (क.)/उप निदेशक (त.)/विपत्र शाखा (दो प्रतियों में)/बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.9.19

सरकार के उप सचिव